POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनांक 17-09-2024

1.थाना सेक्टर-142 पुलिस व सीआरटी तथा सेंट्रल जोन सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये प्रोपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या करने वाले नामजद/ वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 15.09.2024 को वादी के पिता की सेक्टर-137 मेट्रो स्टेशन के पास गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना सेक्टर 142 पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 17.09.2024 को थाना सेक्टर-142 पुलिस व सीआरटी तथा सेंट्रल जोन सर्विलांस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये घटना के षडयंत्र में सम्मिलित नामजद/ वांछित अभियुक्तों राजेश कुमार उम्र करीब 55 वर्ष 2. शक्ति कुमार गिरि उम्र करीब 42 को बुद्ध तिराहा सर्विस रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- मृतक नवेन्द्र कुमार झा जिनका मुख्य अभियुक्त मुकदमें में नामित नीरज गुप्ता व उसका भाई राजेश गुप्ता व शक्ति कुमार से बी- ब्लाक फेस 2 में स्थित प्लाट आदि मकान सम्बन्धी विवाद चल रहा था जिसमें मृतक नवेन्द्र से आरोपीगणो द्वारा एक बार पैसा अदा करने के बावजूद प्लाट के एवज में और धन की मांग की जा रही थी। जिसमें समझौता आदि करने हेतु दिनांक 15.09.24 को सैक्टर 137 मेट्रो स्टेशन के पास वार्ता कर रहे थे कि नामित अभियुक्तगण द्वारा पूर्व से षडयंत्र कर योजना बनाकर बुलाये गये दो अज्ञात व्यक्ति / शूटरो द्वारा मृतक नवेन्द्र कुमार झा के सर में गोली मारकर हत्या करायी गयी थी। उपलब्ध साक्ष्य ,सर्विलांस आदि के आधार पर तलाश नामित वांछित 02 अभियुक्तगण उपरोक्त को बुद्ध तिराहा सर्विस रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगणो से पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणो द्वारा बताया गया कि मृतक नवेन्द्र झा के साथ फेस 2 में स्थित एक प्लाट / मकान को लेकर विवाद चल रहा था , यह लोग नवेन्द्र झा से मकान खाली कराना चाह रहे थे लेकिन वह ना ही अतिरिक्त दो करोड रूपये दे रहा था और न ही खाली कर रहा था इसलिये नीरज गुप्ता व अन्य के साथ मिलकर नवेन्द्र गुप्ता को रास्ते से हटाने की योजना तैयार की ,नीरज गुप्ता ने ही अपने स्तर से शूटरो को तय करके मौके पर जाकर नवेन्द्र गुप्ता की हत्या करायी है। गिरफ्तार

अभियुक्तगणो का पूर्व अपराधिक इतिहास है , अभियुक्त राजेश गुप्ता पूर्व में अपने पिता की हत्या करने व कराने में जेल जा चुका है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. शक्ति कुमार गिरि पुत्र हरिनारायण गिरि नि0 गोदना मठिया थाना रेविलगंज जिला सारण बिहार हाल पता आरजेड 460 गली नं0 13 बी तुगलकाबाद एक्सटेंशन थाना गोविन्दपुरी नई दिल्ली 110019 उम्र करीब 52
2. राजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 ओम प्रकाश गुप्ता उम्र करीब 55 वर्ष नि0 मो0 गाड़ीलान मुन्नी हो0गा0 वाला मकान आधार धर्मशाला वाली गली करहल रोड थाना कोतवाली शहर जनपद मैनपुरी उम्र करीब 55 वर्ष

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **शक्ति कुमार गिरि पुत्र हरिनारायण गिरि--**

1. मु0अ0सं0- 111/24 धारा 103(1),61(2) बीएनएस थाना सेक्टर-142 , गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0- 13/24 धारा 323,506,427 थाना ईकोटेक-तृतीय , गौतमबुद्धनगर

- **राजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 ओम प्रकाश गुप्ता--**

1. मु0अ0सं0- 111/24 धारा 103(1),61(2) बीएनएस थाना सेक्टर-142 गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0- 258/14 धारा 302,120 बी भादवि, थाना इन्द्रपुरम गाजियाबाद

2.थाना सेक्टर -126 नोएडा पुलिस द्वारा कम्पनी के कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी कर कम्पनी के 17 लाख रुपये गबन किये जाने के उद्देश्य से अपने सगे भाई के साथ षड्यंत्र कर लूट की झूठी सूचना देने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 17 लाख रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **17.09.2024** को थाना सेक्टर-126 नोएडा पुलिस द्वारा कम्पनी के कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी कर कम्पनी के 17 लाख रुपये गबन किये जाने के उद्देश्य से अपने सगे भाई के साथ षड्यंत्र कर लूट की झूठी सूचना देने वाले 02 अभियुक्तों रोहित भाटी व षड्यंत्र में शामिल इसके सगे भाई राहुल भाटी को सेक्टर-37 नोएडा बस स्टैण्ड के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। दोनो अभियुक्त कम्पनी से गबन की गयी रकम को लेकर भागने की फिराक में खड़े थे। अभियुक्त रोहित भाटी ने बताया कि मैं करीब डेढ़ महीने से

कम्पनी में कैश कलैक्शन का काम कर रहा था। इतना रूपया देखकर मेरे मन में लालच आ गया मैने अपने भाई राहुल के साथ मिलकर रुपयों को गबन करने की योजना बनायी और अपने भाई को कल शाम हाजीपुर अण्डरपास के पास आने के लिए कहा जैसै ही मेरा भाई राहुल भाटी आया मैंने सारी रकम 17 लाख रुपये अपने भाई राहुल भाटी को देकर भेज दिया था फिर मैंने 17 लाख रुपये बदमाशो द्वारा लूट लिए जाने की सूचना अपनी कम्पनी के मालिक को फोन पर दी। आज हम दोनो भाई इन रुपयों को दो बैग में रखकर इन्हें ठिकाने लगाने के उद्देश्य से सेक्टर-37 पर सवारी की प्रतीक्षा में थे। जहां से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

विवरण-- वादी ने सूचना दी कि उनकी कम्पनी में कैश कलैक्शन का काम होता है जिसके लिए उनके द्वारा कई कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं उन्हीं में से एक रोहित भाटी ने दिनांक 16.09.2024 को समय करीब 18.30 बजे सूचना दी की जब वह 17 लाख रुपये का कैश कलैक्शन करके आ रहा था जैसे ही वह हाजीपुर अंडरपास के पास पंहुचा तो दो बदमाशों ने उससे 17 लाख रुपये लूट लिए हैं। वादी ने पूर्ण विश्वास के साथ कि रोहित द्वारा कम्पनी का कर्मचारी होते हुए गबन करने के उद्देश्य से लूट की झूठी सूचना दी गयी है के आधार पर थाना सेक्टर-126 नोएडा पर मु0अ0सं0 221/2024 धारा 316(4) बी0एन0एस0 बनाम रोहित भाटी उपरोक्त पंजीकृत हुआ।

अभियुक्तों का विवरण--

1. रोहित भाटी पुत्र तेजवीर भाटी निवासी प्रीतविहार कालोनी रेलवे रोड दादरी गौतमबुद्धनगर उम्र 24 वर्ष
2. राहुल भाटी पुत्र तेजवीर भाटी निवासी प्रीतविहार कालोनी रेलवे रोड दादरी गौतमबुद्धनग उम्र 28 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 221/2024 धारा 316(4)/318(4)/61(2)/317(2) बी0एन0एस0

बरामदगी का विवरण--

1. रोहित भाटी के कब्जे से 9 लाख रुपये व कम्पनी के प्रपत्र(रजिस्टर)व 17 लाख प्राप्ती की रसीद।
2. राहुल भाटी के कब्जे से 8 लाख रुपये।